

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विषय: लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 के दृष्टिगत समस्त शासकीय कार्यालय से नेताओं की तस्वीर हटाने के संबंध में।

महोदय,

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 की प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए दिनांक 16.03.2024 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने/ निर्वाचन अवधि में समस्त शासकीय कार्यालयों से माननीय राष्ट्रपति एवं माननीय राज्यपाल की तस्वीर के अतिरिक्त अन्य समस्त राजनेताओं की तस्वीर हटायी जानी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने/ निर्वाचन अवधि में समस्त शासकीय कार्यालयों से माननीय राष्ट्रपति एवं माननीय राज्यपाल की तस्वीर के अतिरिक्त अन्य समस्त राजनेताओं की तस्वीर हटवाने का कष्ट करें।

Digitally Signed by

जितेन्द्र कुमार

Date: 19-03-2024 11:31:32

Reason: Approved

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ०प्र०)

Email: connectpuregistrar@gmail.com



Tel: No: (05452) 252244
Web: www.vjpu.ac.in

पत्रांक : 3100/पू.वि.वि./कु0स0/2024

दिनांक : 19 मार्च, 2024

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्तअधिकारी/परीक्षा नियन्त्रक।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/शिक्षक, विश्वविद्यालय परिसर को इस आशय से कि शासन के पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
3. समस्त प्राचार्य/प्रबन्धक, सम्बद्ध राजकीय/अनुदानित महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर को इस आशय से कि शासन के पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
4. समस्त उप कुलसचिव।
5. प्रभारी, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, कुलपति, मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
7. समस्त प्रशासनिक अधिकारी/प्रभारी/कर्मचारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

कुलसचिव